वादी सोनी विपक्षी रामा

किस्म मुकदमा प्रा० क० पत्रावली संख्या 15 सन् 2013

तारीख	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
	1/10/2015 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थियों के वकील श्री नरेन्द्र पाल सिंह हाजिर। विपक्षियान का वकील श्री कृष्ण कुमार गैरहाजिर। प्रार्थियों नं० 2 की मृत्यु होना दिनांक 22/5/2015 के कार्ड इरशाम (सूचियान) में दर्ज है तथा प्रार्थियों के नाम कायमी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मौका था। प्रार्थियों ने इस प्रार्थना पत्र पर प्रार्थियों के पहले हक्कियत के लिहाज से लगभग 15 माह में 25 तारीखें पेशियां नाम कायमी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु दी तथा उसी दिनांक गत तारीख पेशी दिनांक 1/3/2015 को फीस मौजूद 8000/- रु० पर दिया गया मौका भी शामिल है। लेकिन प्रार्थियों या उनके हक्कियत वाला आज तारीख पेशी पर भी मृतका प्रार्थियां नं० 2 के नाम कायमी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। न्यायालय में मौजूदा प्रार्थियां जब द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तथा प्रार्थियां एवं प्रार्थियां जब के मृतका का नाम कायमी का प्रार्थना पत्र लगभग 15 माह में प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं यह विलम्ब क्षमायोग्य है तथा अनुचित भी। इससे साफ है कि प्रार्थियां या उनके हक्कियत वाले इस प्रस्ताव प्रकरण की पैरवी करने में गम्भीर	उनके

P.T.O.

नहीं है। यदि न्यायालय का समय जाया कर रहे हैं। पूर्व में भी प्रार्थियों का प्रार्थना-पत्र उनकी उपस्थिति। उपस्थित जैसी दिनांक 3/10/2013 को इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था। इसके उपरान्त भी प्रार्थियों या उनके अधिवक्ता अपने प्रकरण की पैरवी करने में गम्भीर प्रतीत नहीं हो रहे हैं।

अतः प्रार्थियों का प्रार्थना-पत्र अनावश्यक आदेश 9 नियम 4 सा०वि० को ध्यान में रखते हुए खारिज किया जाता है।

आज्ञा दिनांक कुमार होकर नामकरण से काम की तारीख निश्चित रखकर है। आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर सुनाया गया।

अपर जिला न्यायाधीश
फास्ट ट्रैक
जिला औरैया (इटावा)